अज अदालत लैण्ड रिकॉर्ड ऑफिसर (एस.डी.ओ.)मुकाम–सिरोही(राज

प्रार्थी

1. चेतनराम पुत्र श्री वागारामजी
जाति सरगडा नि. भूतगांव
तहसील व जिला सिरोही

बनाम

अप्रार्थी
1.स्टेट, जरिये तहसीलदार, सिरो

किस्म मुकदमा,

राजस्व प्रा.पत्र अ.धारा 136 एल.आर एक्ट

रा.प्रा.पत्र सं. 37 / 2024

दिनांक	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुये
21–02–25	पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी की ओर वकील श्री संजय माली व स्टेट की ओर से पेरोकार सरकार उपस्थित । अप्रार्थी स्टेट ने जरिये पत्रांक / कोर्ट / 2024 / 1231 दिनांक 29–11–2024 से प्रस्तुत जवाब को शामिल पत्रावली की गई, प्रति वकील प्रार्थी को उपलब्ध करवाई गई। तहसीलदार सिरोही से प्राप्त जवाब अनुसार मौजा भूतगांव के राजस्व रेकर्ड संवत् 2073–2076 के खाता संख्या 91 के खसरा संख्या 265 रकबा 1.27 है0 में प्रार्थी का नाम शैतानराम पुत्र वागाजी जाति सरगडा हि. 1/24 दर्ज है जबकि प्रार्थी के आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र व बैंक पास बुक में चेतनराम दर्ज है। अतः प्रार्थी का गलत नाम शैतानराम पुत्र वागाजी के स्थान पर चेतनराम पुत्र वागाजी शुद्व किया जाना उचित होना बताया है । प्रकरण में वकील प्रार्थी व पेरोकार सरकार द्वारा अंतिम बहस हेतु निवेदन पर वकील प्रार्थी व पेरोकार सरकार की अंतिम बहस सुनी गई। हमने वकील प्रार्थी व परोकार सरकार की अंतिम बहस का गंभीरता पूर्वक मनन किया, विचरण प्रकरण की सम्पूर्ण पत्रावली व दस्तावेजात व स्टेट द्वारा प्रस्तुत जवाब का भी गहनतापूर्वक अवलोकन कर उस पर मनन किया । सम्पूर्ण प्रकरण के विवेचन के उपरान्त प्रार्थी का यह प्रार्थना पत्र अधारा 136 एल.आर एक्ट का तहसीलदार से प्राप्त जवाब के आधार पर स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाकर तहसीलदार सिरोही को आदेश दिया जाता है कि ***मौजा भूतगांव के राजस्व रेकर्ड संवत् 2073–2076 के खाता संख्या 91 के खसरा संख्या 265 रकबा 1.27 है0 में प्रार्थी का गलत नाम शैतानराम पुत्र वागाजी के स्थान पर चेतनराम पुत्र वागाजी संशोधन कर*** उक्तानुसार राजस्व रेकर्ड जमाबंदी अपडेट कर पालना से इस न्यायालय को अवगत करावें लैण्ड रिकॉर्ड ऑफिसर (एस.डी.ओ.) सिरोही (उपखण्ड अधिकारी) सिरोही (राज॰)	

लैण्ड रिकॉर्ड ऑफिसर सिरोही (राज.)